International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में मध्याहन भोजन योजना का योगदान : एक अध्ययन

कर्ण सिंह,
शक्ति चौधरी
लोक प्रशासन विभाग
चौ. देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा

भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खेती–बाड़ी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और दुनियाँ की सबसे बेहतर उपजाऊ भूमि हमारे पास है। इसलिए हम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाकर अपना और दूसरे देशो का भी पेट भर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों तक भोजन की पूर्ति करना है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के पौष्टिक भोजन के स्तर को सुधारने के लिए मध्यान भोजन योजना को शुरू किया। मध्यान भोजन योजना सरकारी स्कूलों और संस्थाओं से जुड़े बच्चों के लिए एक मुफ्त में चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। इस योजना के तहत विद्यालयों में मध्य अवकाश में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। जिससे स्कूली बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर न जाए और बच्चों कि शिक्षा में 'सुधार हो और बच्चो का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इस योजना में मोटे अनाजों के अतिरिक्त सब्जियाँ, दाल, सोयाबीन, तेल भी बच्चों को भोजन में प्रदान किए जाते हैं ताकि वे कुपोषण जैसी बिमारियों से ग्रस्त न हों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और मध्यझन योजना के संबंधी' को जांचने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसकी विशेषताओं और प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्दः पौष्टिक भोजन, कुपोषण, भूखमरी, खाद्य सुरक्षा न रहे।

भूमिकाः

विश्व में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तथा भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान पर है जबकि चीन का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। भारत के पास विश्व की कुल जनसंख्या का 17.4 प्रतिशत है जबकि विश्व की कुल भूमि का हिस्सा 1.7 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि भारत में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो की संख्या 29.1 प्रतिशत है। भारत में गरीबी के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने समय–समय पर अनेक योजनाएं चलाई जिसमें से प्रमुख है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है जो 5 जुलाई 2013 से लागू की गई।

भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है, जिसने संसदीय कानून के तहत हर जरूरतमंद घर के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। वैसे यह प्रबन्ध घरेलू इकाईयों के लिए किया गया है। लेकिन भूख से निपटने के लिए सामाजिक सहयोग व सहभागिता की आवश्यकता है। देश में भूख व कुपोषण बड़े स्तर पर फैला हुआ हैं। जिसके परिणामस्वरूप हमारे बच्चों, महिलाओं और पुरूषों को अपने शारीरिक और मानसिक विकास की जैविक सम्भावनाओं का बढ़ाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता हैं। इसके साथ–साथ भारत में कृषि का उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि हमारे किसान बड़े स्तर पर कीमतों की अस्थिरता को सहन करते है जिससे उनकी आय और स्थिरता पर बहुत

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अवसर पड़ता हैं। कीमतों में उतार–चढ़ाव का मामला हमेशा समस्या बनी हुई है। भारत सरकार को केवल उपभोक्ताओं को शान्त करने के अस्थाई पहल की बजाए स्थाई समाधान ढुढ़ना चाहिए। शहरों के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में अधिक जमीन उपलब्ध है और इसका प्रयोग चारों तरफ, बागवानी को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो मूल्यों में स्थिरता आऐगी और दूसरा टिकाऊ पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकार ने 2018 को मोटे अनाज का साल घोषित किया है। इसके साथ–साथ किसानों को योजनाओं की अधिक जानकारी देने के लिए कृषि स्कूलों की स्थापना की है जिससे कि किसान बेहतर तकनीकी सिखने की प्रक्रिया कर सके। इसी तरह जमीन से जमीन का अभियान खेती में कौशल से जुड़े काम के फैलाव की प्रक्रिया का विस्तार हो सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों और अन्य फसलों को शामिल करने का प्रावधान उपलब्ध कराता है। मीडिया की हाल ही रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में रबी और मोटे अनाज की बुआई में अच्छी वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत रागी, ज्वार व बाजरा जैसे मोटे अनाजों को खाद्यान्न बास्केट में मिलाया गया हैं। सौभाग्य से बाजरा व जवार और कई अन्य मोटे अनाजों पर आधारित विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियां आ रही है। हमें सिर्फ यह बात मजबूत करने की आवश्यकता है कि खाद्य सुरक्षा कानून और मध्यहान भोजन योजना दोनों के अन्तर्गत मोटे अनाजों का अधिक मात्रा में प्रयोग हो सके। 2018–19 के बजट में खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रसंशकरण के लिए महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध करवाया गया है जैसे कटाई के बाद की तकनीकों में ज्यादा निवेश को बढ़ावा देने के लिए मूल्य सवंद्वित प्रदार्थों को तैयार करना होगा जिससे खाद्यान्न को बढ़ावा मिलेगा।

अवधारणाः

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को दोनों समय में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना ताकि वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए जरूरी है कि न केवल समग्र स्तर पर भोजन की मात्रा उपलब्ध हो बल्कि परिवारों के पास उचित क्रय शक्ति हो बल्कि परिवारों के पास उचित क्रय शक्ति भी जिससे वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न खरीद सके। जहां तक पर्याप्त मात्रा का संबंध है इसके लिए दो पहलू है – पहला मात्रात्मक तथा दूसरा गुणात्मक है। खाद्य एवं कृषि संस्था 1983 के अनुसार सभी व्यक्तियों को सभी समयों पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक व आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आवश्वासन के रूप में की है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक समय, विश्वसनीय और पोषण की दृष्टि से खाद्य पदार्थो का अधिक भण्डारण दीर्घकालिन आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी देश में खाद्य भण्डारण की इतनी वृद्धि दर सुनिश्चित करनी होगी कि इससे न जनसंख्या वृद्धि का ध्यान रखा जाए बल्कि इसके साथ–साथ लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्यान्न की मांग में वृद्धि की भी पूर्ति की जा सके लेकिन इस अवधारणा का मतलब है जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के रूप में की जाती है। इसी धारणा की वजह से यह संकुचित आभास होता है। परन्तु एक विकासशील अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा की विचारधारा समाज द्वारा प्राप्त विकास की अवस्था में परिवर्तन के साथ बदलती रहती हैं। इसी दृष्टि से निम्न

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अवस्थाएं प्रतिपादित की गई।

पहली अवस्था : मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी को खाद्य सामग्री की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए।

दूसरी अवस्था– इस अवस्था में खाद्य सुरक्षा के रूप में अनाज और दालों कि पर्याप्त उपलब्धि अनिवार्य होनी चाहिए।

तीसरी अवस्था – इस अवस्था में खाद्य सुरक्षा में अनाज, दालो, दूध व दूध से बने पदार्थों को शामिल कर सकते है। चौथी अवस्था – इस अवस्था में खाद्य सुरक्षा में अनाज, दालो, दूध व दूध से बने पदार्थों, सब्जियां, फल, अण्डे और मांस आदि को शामिल किया जा सकता है।

विभिन्न खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्यः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की विभिन्न स्तरों पर संरचना एवं कार्यप्रणाली के अध्ययन पर केन्द्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) खाद्य पदार्थो के न्यूनतम समर्थन मूल्य व कीमत का निर्धारण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) खाद्य पदार्थो के विभिन्न वर्षो के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य को उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि धन का मूल्य वर्ष 1990–91 में 205 रूपए था जो 2000–01 में बढ़कर 570 रूपए हो गया जो कि आगामी दर वर्षो में 2010–11 में 1000 रूपए पर पहुंच गया 2017–18 में 1550 रूपए के भाव पर बिका। जहां तक गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है यह भी समय के साथ बढ़ता चला गया क्योंकि 1990–91 में गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 था जो 2000–01 में बढ़कर 610 पर पहुंच गया और 2017–18 में 1625 रूपए के भाव पर बिका। लगभग समान स्थिति मोटे अनाज के मामले में दर्ज की गई क्योंकि इसमें भी समय के साथ बढ़ोतरी की गई है वर्ष 2000–01 में मोटा अनाज 445 रूपए के भाव पर बिकना तय हुआ था जो आगामी दस वर्षो के पश्चात् 2010–11 में 880 रूपए और 2017–18 में 1425 पर पहुंच गया। जहां तक चना, अरहर, मूंग तथा उड़द का संबंध है इनके मूल्य में धान, गेहूं और मोटा अनाज की तुलना में ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 1990–91 में चना 450 रूपए के हिसाब से बिका। 2000–01 में इसका समर्थन मूल्य 1100 रूपए तय किया गया जो बढ़कर 2017–18 में 4000 रूपए पर पहुंच गया। अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1990–91 में 480 रूपए तथा 2000–01 में 1200 रूपए जो 2017–18 में बढ़कर 5450 रूपए हो गया। इसी समान अवधि के दौरान मूंग का मूल्य 480 रूपए से बढ़कर 5575 रूपए हो गया। वही उड़द का मूल्य जो 1990–91 में 480 रूपए निर्धारित हुआ था जो बढ़कर 5400 रूपए पर पहुंच गया। इस प्रकार इस सारणी से पता चलता है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय के साथ खाद्य पदार्थो के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। यह वृद्धि धान, गेहूँ व अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा दालों में–अरहर, मूंग, उड़द आदि में अधिक रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और मध्यहान भोजन योजना का संबंधः

खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलूओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने तीन खाद्य आधारित सुरक्षा योजना अपनाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेंकित बाल विकास सेवाएं व दोपहर भोजन कार्यक्रम चलाई लेकिन इस शोध पत्र में हम मध्यहान भोजन योजना का वर्णन करेंगे।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

देश में आर्थिक विकास के लिए मात्रात्मक व गुणात्मक पहलूओं का विस्तार जरूरी है। इसके लिए देश में शिक्षा का विकास होना जरूरी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए स्कूली बच्चों का नामांकन जरूरी होना चाहिए लेकिन देश में नामांकन जरूरी होना चाहिए। लेकिन देश में नामांकन का स्तर बहुत ही कम है और इसके साथ–साथ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी कम है। इसके लिए सरकार ने नामांकन दर व उपस्थिति के साथ–साथ बच्चों में पोष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केन्द्रिय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणीक सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। मध्यहान भोजन योजना सरकारी स्कूलों और संस्थाओं से जुड़े बच्चों के लिए एक मुफ्त में चलाए जाने वाला कार्यक्रम हैं। यह योजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। देश में सर्वप्रथम मध्यहान भोजन योजना तमिलनाडु में शुरू की गई वहां पर बच्चों को दोपहर में बच्चों को पक्का पकाया भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बच्चों को इस योजना के तहत विद्यालयों में मध्य अवकाश में स्वादिष्ट व रूचिकर भोजन प्रदान किया जाता हैं। इससे ने केवल छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है बल्कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई भी कर पाते है। इससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में सुधार हुआ है। भारत सरकार द्वारा निर्दशित किया गया था कि बच्चों को सभी राज्यों में मध्यहान अवकाश में पका–पकाया भोजन दिया जाएं।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 15 अगस्त 1995 में मध्याहन भोजन योजना आरम्भ की गई। जिसमें तीन किलोग्राम गेहूं प्रति महीने सुखा भोजन देने की योजना आरम्भ की गई। सुखा भोजन देने का काम शुरू हुआ लेकिन कुछ समय पश्चात काफी समस्याऐं आने लगी। इस योजना का सर्वे करवाने से पता चला कि बच्चों की जो तीन किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा था वह गेंहू उनके शराबी अभिभावकों द्वारा बेचकर शराब पी ली जाती थी या सारा परिवार उस अनाज को मिल बांटकर खाता। जिससे उस बच्चे को राशन की मात्रा बहुत ही कम मिल पाती थी। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए 15 अगस्त 2004 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर नई योजना के तहत सुखा भोजन न देकर बच्चों को पकाकर खिलाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2007 में राज्य के 36 खण्डों में तथा बाद में 1 अप्रैल 2008 से सभी उच्च–प्राथमिक विद्यालयों में पका–पकाया पोष्टिक भोजन देना प्रारम्भ किया गया। मध्यहान भोजन योजना के तहत 2013–14 के सालाना बजट में 35280 लाख रूपये दिए गए। इसमें प्राइमरी के लिए केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 143333.45 लाख रूपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। मिडिल स्कूल के लिए केन्द्र सरकार का हिस्सा 13046 लाख रूपए, राज्य सरकार का हिस्सा 3700 लाख रूपये एवं कुल 16746 लाख रूपए व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

मध्याहन भोजन योजना के उद्देश्यः

मध्याहन भोजन योजना को चलाने से पहले इनके उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित हैः

- प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन की दर में वृद्धि करना अर्थात् विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाना।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- छात्रों को विद्यालयों में पूरे समय तक रोके रखना जिससे कि विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो सके। बच्चों को कुपोषण से बचाना जिससे कि उनका शारीरिक व मानसिक रूप से विकास हो सके।
- निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करना। गरीब परिवार जो कि दोपहर का भोजन बच्चों को दे नहीं पाते उनके बोझ को कम करना।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को प्रोत्साहन देना।
- स्कूल में सभी जाति व धर्म के विद्यार्थियों को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके बीच में सौहार्द्व, एकता व भाईचारे की भावना को विकसित करना।
- बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक व आकर्षित करना।

मध्यहान भोजन योजना की विशेषताएं:

मध्याहन भोजन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसके अन्तर्गत 1 कक्षा से 8 तक के विद्यार्थियों को पक्का–पकाया भोजन विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाता है ताकि छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार न हो सके। इस योजना की निम्नलिखित विशेषताएं है:

- इस योजना में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कैलोरिज की मात्रा निर्धारित की गई है, प्रत्येक बच्चा जो सरकारी प्राथमिक विद्यार्थियों के पढ़ता है उसको 300 कैलोरिज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मध्याह्न के समय मिलता है। कुछ समय के पश्चात सितम्बर 2004 को कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर 450 और 12 ग्राम किया।
- इस योजना के तहत अनाज की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।
- मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों की उपस्थिति 80 प्रतिशत या 80 प्रतिशत से अधिक होगी तभी वह विद्यार्थी अगले साल इस योजना का लाभ लेने के लिए वही योग्य होगा। जिसमें विद्यार्थी रोजना में स्कूल आ सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों व आदिवासी इलाकों में बहुत कम लड़कियों को स्कूल भेजते थे लेकिन इस योजना के संचालन के बाद बच्चों के माता–पिता लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे है।
- वे विद्यार्थी जिन्हे गरीबी के कारण घर में भरपेट भोजन उपलब्ध नही होता था और उनका बौद्धिक व शारीरिक विकास नही हो पाता था लेकिन अब उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगा।
- इस योजना से बच्चो में अच्छी आदतों का विकास हो रहा है जैसे खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना अपनी प्लेट खुद साफ करना और साफ पानी आदि ।
- इस योजना के तहत पहले 16 तरह के व्यंजन दिये जाते थे लेकिन 1 अप्रैल 2014 से 16 व्यंजनों में से 6 व्यंजनों को कम कर 10 व्यंजनो को लागू किया गया।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- मध्याह्न भोजन बनाने के लिए महिलाओं को रखा गया है।
- बच्चों को मध्याह्न भोजन देने से पहले स्कूल के मुख्याअध्यापक द्वारा उसे चखा जाता है। उसके बाद बच्चों खाना दिया जाता है।
- बच्चों के लिए भोजन कम ना रहे इसके लिए तीन महीने का कोटा जमा करके रखा जाता है। मध्याह्न भोजन की निगरानी पूरी तरह स्कूल प्रबन्ध समिति द्वारा की जाती है।
- मध्याहन भोजन बनाने के लिए सरकार द्वारा विद्यालय में रसोई का निर्माण किया गया।

सुझावः

- इस योजना के तहत मध्याह्न का भोजन स्कूल के किसी अध्यापक या स्कूल प्रबन्धक समिति के सदस्य द्वारा खाना चखना चाहिए उसके बाद विद्यार्थियों में बांटना चाहिए।
- मध्याह्न भोजन योजना को चलाने के लिए भौतिक सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए जैसे
- पीने के पानी की व्यवस्था व बर्तन साफ करने के लिए पानी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
- किचन का प्रबन्ध शहरों में शहरी ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत कराया जाऐगा।
- खाद्यान्न भण्डारण के लिए बर्तन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये जाते है।
- भोजन कक्ष में रोशनी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
- भोजन जो स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा है उसकी कीमत बजट के अनुसार होनी चाहिए।
- भोजन पकाते समय उपलब्ध पोषक तत्वो का ध्यान रखना चाहिए जिसमें कि पोषक
- तत्व नष्ट ना हो सके। और उपलब्ध पोषिक तत्वों का बच्चों को लाभ हो सकेगा और उनका स्वास्थ्य सही रहेगा।
- मध्याह्न भोजन की गुणवता की सुनिश्चित करने का दायित्व स्कूल का होना चाहिए।

निष्कर्षः

भारत की जनसंख्या गावों में निवास करती है। भारत की जनसंख्या अधिक है और भूमि योग्य क्षेत्रफल कम है जिसमें खाद्यान्नों की समस्या पैदा होती है। इससे निपटने के लिए सरकार ने समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जिसमें से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत हर जरूरतमन्द परिवार के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा निश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली 2013 में जनवितरण प्रणाली में मोटे अनाजों को शामिल किया गया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता तक खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध करवाना। देश में खाद्यान्न उचित मात्रा में उपलब्ध नही होता है तो लोग कुपोषण के शिकार हो जाते है इसके साथ–साथ छोटे बच्चे भी इस चपेट में आ जाते है। इस कुपोषणता से बचाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत की जिससे की छोटे बच्चों को पोष्टिक भोजन उपलब्ध करवा सके। स्कूलों में नामांकन की दर व उपस्थिति (हाजिरी) की दर बढ़ रही है। जिसमें छोटे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा इसमें देश के विकास में फायदा होगा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सन्दर्भ सूची

1. आर. राधाकृष्ण, "फूड एण्ड सिक्योरिटी : यूटिशन ऑफ पूअर', इक्नोमिक एण्ड पॉलिटैनिक विकली, 30 अप्रैल 2005, पृ. 1817
2. मिश्रा. एस.के. और पूरी वी.के., "भारतीय अर्थव्यवस्था", हिमालय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011
3. रेडिप्पा, एल., "फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया", कनिष्क पब्लिशर्ज, डिस्ट्रीब्यूस्ट, नई दिल्ली, 2011
4. स्वामीनाथन एम.एस., "मूत्य संबंधित उत्पादों को प्रोत्साहन योजना', मार्च 2018, पृ. 17—19
5. सिंह विनय, "इण्डियन इक्नोमिक", दिव्या पब्लिकेशन, 2017
6. खण्डेलवाल, कृष्ण कुमार, "हरियाणा संवाद", सितम्बर 2013, पृ. 24
7. दैनिक जागरण, 1 मार्च 2014, पृ.2
8. आचार्य एस.एम., "आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा", लक्ष्मी पब्लिकेशन हाऊस, रोहतक, पृ. 55
9. जैन के.सी., "मानव अधिकार', विजय पब्लिकेशन, लुधियाना, पृ. 14—23
10. निवास श्री, "चुनौतियों का सामना शिक्षा से सम्भव", दैनिक भास्कर, चण्डीगढ़, 9 मार्च 2008,पृ.9
11. सिंह निरंकार, "ऐसे में खाद्यान्न बिना सुरक्षा कैसे होगी', हरिभूमि रोहतक, 11 अगस्त 2013, पृ.4